न्यायालय अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बिरौल

Ghanshyampur P.S.37/23

CRI-628/23

01-11-2023

प्रस्तुत काण्ड में अनुसंधानकर्ता ने अंतिम प्रपत्र सं0- 212/23 दिनांक- 30-06-2023 एवं काण्ड दैनिकी सत्य सूत्रहीन दिखाते समर्पित किया है।

अंतिम प्रपत्र पर विद्वान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी का कथन है कि प्रस्तुत काण्ड में सपर्पित अंतिम प्रपत्र को स्वीकार किया जा सकता है।

प्राथमिकी, अंतिम प्रपत्र, कांड दैनिकी सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत काण्ड में सूचक की उपस्थिति हेतु दिनांक 09-10-2023 को नोटिस निर्गत किया गया था। इसके बावजूद सूचक आज तक न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। अभिलेख पर विरोध पत्र दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्टत: प्रतीत होता है कि सूचक को कांड की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में कोई अभिरूचि नहीं है। काण्ड दैनिकी में वाद की कार्यवाही को आगे बढ़ाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुसंघानकर्ता द्वारा समर्पित अंतिम प्रपत्र ' सत्य सूत्रहीन ' को स्वीकार किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

SDJM, Biraul